झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

विषय-सूची

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. विश्वविद्यालय की स्थापना
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
6. क्षेत्राधिकार
7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला रहेगा
8. छात्रावास
9. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी
10. कुलाधिपति
11. कुलपति
12. राज्य सरकार के साथ कुलाधिपति और कुलपति द्वारा पत्राचार का तरीका
13. कुलपति को हटाया जाना
14. प्रति कुलपति
15. कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति में कार्य की व्यवस्था
16. वित्तीय सलाहकार
17. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष
18. कुलानुशासक
19. संकायाध्यक्ष
20. क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक
21. कुलसचिव

22. वित्त पदाधिकारी

23. परीक्षा नियंत्रक

24. पुस्तकालयाध्यक्ष

25. अन्य अधिकारी

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकार

27. कार्यकारी परिषद्

28. कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य

29. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि

30. अकादमिक परिषद्

31. अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य

32. संकाय, संकायाध्यक्ष और विभागों के प्रमुख

33. विभागीय परिषद्

34. परीक्षा बोर्ड

35. परीक्षाओं का आयोजन

36. योजना और मूल्यांकन समिति

37. शोध परिषद्

38. अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड एवं प्रबंधन बोर्ड

39. वित्त समिति

40. अयोग्यता

41. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार

42. परिनियम

43. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्ति हेतु कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा

44. परिनियम किस प्रकार बनाया जाऐगा

45. अध्यादेश

46. विनियम कैसे बनाया जाऐगा

47. नियम

48. कतिपय परिनियम आदि के निर्माण संबंधित मामलों में उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा

49. छात्र संघ

50. वार्षिक प्रतिवेदन

51. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना

52. विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अभिदान

53. क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय का वार्षिक प्राक्कलन

54. बजट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा

55. कार्यकारी परिषद् द्वारा प्राक्कलन पर विचार

56. बजट में शामिल नहीं किए गए व्यय पर प्रतिबंध

57. किन उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जाऐगी

58. विश्वविद्यालय निधि का लेखा एवं अंकेक्षण

59. विश्वविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण की राज्य सरकार की शक्ति

60. रिटर्न और सूचना

61. क्षेत्रीय केंद्रों का निरीक्षण

62. शिक्षकों और अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति

63. नियुक्ति की शर्तें

64. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में नामांकन के लिए अहर्ताऐं

65. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना

66. विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपील और मध्यस्थता की प्रक्रिया

67. विद्यार्थी परिषद्

68. आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ

69. प्लेसमेंट प्रकोष्ठ

70. आयोग की नियुक्ति

71. रिक्तियों को भरना

72. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

73. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा शर्तें

74. वरीयता सूची

75. सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के कैरियर में उन्नयन के माध्यम से प्रोन्नति के लिए मानदंड / विनियम

76. सेवानिवृत्ति

77. आचार संहिता

78. नई पेंशन योजना, उपादान एवं बीमा

79. अस्थायी प्रावधान

80. कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति के गठन के उद्देश्य से निर्वाचन

81. प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद

82. प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी

83. विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाण का तरीका

84. नियम बनाने की शक्ति

85. निर्देश देने की शक्ति

86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करना ताकि भारत और झारखण्ड में आदिवासी आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुगम बनाया जा सके तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सुविधा प्रदान किया जा सके।

भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

   (1) इस अधिनियम को पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह झारखण्ड राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं: इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) क्षेत्रीय केन्द्र के परिप्रेक्ष्य में "अकादमिक बोर्ड" से तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक निकाय से है; जो अकादमिक मामलों के दायित्वों का निर्वहण कर सके और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

   (ख) "अकादमिक परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद्;

   (ग) "अकादमिक कर्मचारी" से अभिप्रेत है कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियाँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(ङ) "द्विमासिक बैठक" से अभिप्रेत है कार्यकारी परिषद् की बैठकों में से एक बैठक जो अधिनियम की धारा-27 की उप-धारा (11) के तहत प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाती है और परिनियमों द्वारा कार्यकारी परिषद् की द्विमासिक बैठक घोषित की जाती है;

(च) "परिसर" से अभिप्रेत ऐसी इकाई से है जहाँ अध्यापन, या अनुसंधान, या दोनों की व्यवस्था हो, इसमें ऑफ-कैंपस शामिल हैं;

(छ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से अभिप्रेत है, क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति;

(ज) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी संकाय के अध्यक्ष;

(झ) "विभाग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय विभाग;

(ञ) "निदेशक" का अर्थ है एक क्षेत्रीय केंद्र का प्रमुख;

(ट) "कर्मी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;

(ठ) "कार्यकारी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद्;

(ड) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का एक संकाय;

(ढ) "वित्त समिति" का अर्थ है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(ण) "हॉल" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या इसके केन्द्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास या निवास या कॉरपोरेट जीवन की इकाई, या केन्द्र जिसका रख-रखाव एवं मान्यता विश्वविद्यालय प्रदान करती है।

(त) एक क्षेत्रीय केंद्र के संबंध में "प्रबंधन बोर्ड" का अर्थ है ऐसे केंद्र के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बोर्ड जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(थ) "मान्यता प्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके क्षेत्रीय केंद्रों में अध्यापन के उद्देश्य से मान्यता दी जा सकती है;

(द) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा झारखंड राज्य में स्थापित दूर अवस्थित परिसर जो विश्वविद्यालय के हिस्से के रूप में कार्य करे जैसा परिनियमों में निर्धारित है;

(ध) "विनियम" से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा उस समय लागू होने वाले विनियमों से है;

(न) "अनुसूचित जनसंख्या" से अभिप्रेत है अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जातियाँ जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है;

(प) "परिनियम" और "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, क्रमशः, विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत परिनियम और अध्यादेश;

(फ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" का अर्थ है प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी भी क्षेत्रीय केंद्र में अध्यापन या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित किया जा सकता है;

(ब) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जैसा कि इस अधिनियम के तहत निगमित किया गया है;

(भ) "विश्वविद्यालय चयन समिति" का अर्थ ऐसी समिति से है जिसे स्वीकृत ग्रेड और वेतनमान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य सेवकों की स्वीकृत संख्या के अधीन पदों पर

नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी नहीं होंगे।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:

(1) झारखण्ड राज्य में "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में होगा।

(3) विश्वविद्यालय के झारखण्ड राज्य में उतने क्षेत्रीय केंद्र और परिसर होंगे जितना विश्वविद्यालय उचित समझे।

(4) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद्, और ऐसे सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता धारण किए रहते हैं, एतद् द्वारा साथ मिलकर "पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय" नामक निकाय गठित करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय को शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य: विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार होंगे:-

(1) मुख्य रूप से जनजातीय आबादी के लिए जनजातीय अध्ययन पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाऐं प्रदान करना;

(2) जनजातीय केंद्रित सामाजिक विज्ञान, कला, संस्कृति, भाषा और भाषा विज्ञान, विज्ञान, वन आधारित आर्थिक गतिविधियों आदि पर शिक्षण और अनुसंधान सुविधाऐं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और प्रोत्साहन करना;

(3) राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संगठनों के साथ विशेष रूप से आदिवासी आबादी पर सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए सहयोग करना;

(4) आदिवासी केंद्रित विकास मॉडल तैयार करना, प्रतिवेदन और मोनोग्राफ प्रकाशित करना; जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन एवं संगोष्ठी

आयोजित करना और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत मामलों में मंतव्य प्रदान करना;

(5) अन्तर्विषयी अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना तथा झारखण्ड राज्य और भारत संघ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार और कल्याण एवं बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देना;

(6) प्रारंभ में विश्वविद्यालय सीबीसीएस (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) के आधार पर संकायों में निम्नलिखित विभागों की स्थापना करेगा जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। बाद में, आवश्यकता के अनुसार, विश्वविद्यालय नए संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा या पुराने को हटा सकेगा। विभिन्न संकायों के विभिन्न विभागों का कार्य निम्नानुसार होगा:-

सामाजिक विज्ञान संकाय:

(i) अर्थशास्त्र विभाग

(ii) इतिहास और पुरातत्व विभाग

(iii) भूगोल और क्षेत्रीय विकास विभाग

(iv) समाजशास्त्र विभाग

(v) मानव विज्ञान और प्रथागत कानून विभाग

(vi) प्रवासन और श्रम अध्ययन विभाग

(vii) राजनीति विज्ञान विभाग

(viii) शांति और संघर्ष अध्ययन विभाग

कला और मानविकी संकाय:

(i) हिंदी विभाग

(ii) संथाली विभाग

(iii) हो विभाग

(iv) नागपुरी विभाग

(v) कुड़ुख विभाग

(vi) मुंडारी विभाग

(vii) कुरमाली विभाग

(viii) खड़िया विभाग

(ix) पंचपरगनिया विभाग

(x) खोरठा विभाग

(xi) दर्शनशास्त्र विभाग

(xii) अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा विभाग

विज्ञान संकाय:

(i) औषधीय, सुगंधित तथा कृषि पौधों एवं पारंपरिक चिकित्सा विभाग

(ii) ग्रामीण तथा वन प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान तथा कानून विभाग

प्रबंधन संकाय:

(i) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन विभाग

कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान संकाय:

(i) कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

जनजातीय अध्ययन संकाय:

(i) जनजातीय कला, लोक साहित्य तथा संस्कृति विभाग

(ii) लोक अध्ययन विभाग, इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान

(iii) जनजातीय तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग

ललित कला संकाय

मंच कला संकाय

शारीरिक शिक्षा संकाय

विधि संकाय

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ: विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे तथा अनुसंधान एवं ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए प्रावधान करे;

(2) ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण के किसी अन्य तरीके के आधार पर डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर) या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान करना, और पर्याप्त कारण होने पर किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(3) अतिरिक्त भिति अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाऐं आयोजित करना और प्रारंभ करना;

(4) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मानद डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र या अन्य विशिष्टताऐं प्रदान करना;

(5) ऐसे व्यक्तियों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाऐं प्रदान करना जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(6) विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक पद, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अन्य शिक्षण या अकादमिक पदों को स्थापित करना तथा निदेशक, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य शिक्षण या अकादमिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(7) जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधान के विशिष्ट ज्ञान के व्यक्तियों को जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं तथा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में एक समय में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से प्रति नियुक्त करना,;

(8) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकार या उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ इस तरह से और ऐसे उद्देश्यों के लिए सहयोग करना या संबद्ध करना, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है;

(9) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे क्षेत्रीय केंद्र, परिसर, विशेष केंद्र, विशेष प्रयोगशालाओं या अनुसंधान और निर्देश के लिए अन्य इकाईयों को स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में, इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं;

(10) फेलोशिप, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थापित करना और प्रदान करना;

(11) क्षेत्रीय केंद्रों, विभागों और हॉलों की स्थापना और रख-रखाव करना;

(12) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और उस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों, औद्योगिक या अन्य संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(13) शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाऐं, संगोष्ठियों और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करना और संचालित करना;

(14) महिला विद्यार्थियों के आवास और अध्यापन के संबंध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(15) संविदा पर या अन्यथा विजिटिंग प्रोफेसरों (सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों), एमेरिटस प्राध्यापकों, सलाहकारों की कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में तथा उन्नति में योगदान दे सकते हैं;

(16) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि शामिल हो सकती है;

(17) शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान की मांग करना और प्राप्ति;

(18) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(19) कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करना, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;

(20) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित तथा लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाऐं;

(21) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(22) उपकार, दान और उपहार प्राप्त करना तथा राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट एवं बंदोबस्ती संपतियों सहित किसी भी चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करना;

(23) अनुसंधान, कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण और रोजगार आदि के क्षेत्रों में उद्योगों के साथ सहयोग (वित्त पोषण या बिना वित्त पोषण) करना;

(24) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(25) झारखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उतने क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों;

(26) प्रवेश के मामलों में सीटों का पर्याप्त प्रतिशत, रोजगार के मामले में पदों की संख्या और अन्य लाभ के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के शैक्षिक, आर्थिक हितों और कल्याण के संवर्धन के लिए विशेष प्रावधान करना;

(27) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो आवश्यक या आकस्मिक हों तथा इसके सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल हों।

6. क्षेत्राधिकार: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला रहेगा: विश्वविद्यालय सभी लोगों के लिए लिंग, रंग, पंथ, जाति या वर्ग की परवाह किए बिना खुला

होगा एवं विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने या कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में प्रवेश देने या उससे स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का लाभ लेने या प्रयोग करने पर धार्मिक विश्वास या पेशे के किसी भी परीक्षण को अपनाने या लागू करना वैध नहीं होगा:

परंतु यह कि इस धारा के किसी भी बात से विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने पर रोक नहीं लग सकेगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल हैं।

8. छात्रावास: हॉल या छात्रावास सीटों की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

9. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रति कुलपति;

(4) वित्तीय सलाहकार;

(5) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(6) कुलानुशासक;

(7) निदेशक;

(8) संकायाध्यक्ष;

(9) कुलसचिव;

(10) वित्त पदाधिकारी;

(11) परीक्षा नियंत्रक;

(12) पुस्तकालयाध्यक्ष; तथा

(13) ऐसे कोई अन्य अधिकार

घोषित किए जाएँ।

10. कुलाधिपति:

(1) झारखण्ड के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे और अपने पद के आधार विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कार्य करेंगे और जब उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय के किसी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड में किसी भी व्यक्ति को नामित करने के लिए, राज्य सरकार के साथ कुलाधिपति द्वारा परामर्श का तरीका इस प्रकार होगा:-

(क) राज्य सरकार प्रत्येक नामांकन के लिए कम से कम तीन नामों का सुझाव देगी, जिनमें से कुलाधिपति किसी भी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या विश्वविद्यालय के बोर्ड में अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में किसी एक का चयन करेंगे, और बदले में राज्य सरकार को इसकी सूचना देंगे।

(ख) यदि कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों से असहमत हैं, तो वह लिखित में कारण दर्ज करेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे।

(ग) राज्य सरकार जैसा आवश्यक समझे अपने विचारों को लिखित रूप में संप्रेषित करेगी और ऐसे मामलों में कुलाधिपति अपने नामित व्यक्ति को अंतिम रूप देंगे।

(घ) कुलपति, प्रति कुलपति, वितीय सलाहकार और कुलसचिव का चयन और विश्वविद्यालय के किसी भी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड में किसी भी व्यक्ति का नामांकन राज्य सरकार द्वारा गठित एक खोज समिति के पैनल के माध्यम से होगा। सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या उसके संयोजन के माध्यम से खोज समिति, उम्मीदवार के चयन के लिए 3 नामों के एक पैनल की पहचान करेगी। खोज समिति के सदस्यों को

संबंधित विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों से नहीं जोड़ा जाएगा। खोज समिति का गठन निम्नवत होगा:-

i. झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

ii. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार- सदस्य

iii. झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति-सदस्य।

(ङ) पैनल तैयार करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान मानदंडों के अतिरिक्त सरकार या विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासन में पर्याप्त अनुभव जैसी वांछनीय योग्यताओं का पालन किया जाएगा।

(च) इस विश्वविद्यालय के किसी भी परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इस विश्वविद्यालय के किसी निकाय या परिषद् या प्राधिकार या समिति के अध्यक्ष का निर्णय राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जब तक कि इसे विश्वविद्यालय के अधिनियम में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया हो।

11. कुलपति:

(1) कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष रखे गए नामों की वरीयता के क्रम को बनाए रखते हुए राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को कुलपति के पद को धारण करने के लिए तब तक योग्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह एक प्रतिष्ठित विद्वान न हो और उसे अत्यधिक शैक्षणिक रुचि न हो।

इसके अलावा, उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिक और संस्थागत प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाऐगा। नियुक्त होने वाले कुलपति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होने चाहिए, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली में प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा, यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार या विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) पहली बार में पदग्राही व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण नहीं करने की किसी भी स्थिति को पूरा करने के लिए, या मृत्यु, इस्तीफा या कुलपति को हटाने के कारण कुलपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कुलाधिपति द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इस धारा की उप-धारा (1) में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कुलपति की नियुक्ति करेंगे।

(4) (i) कुलपति एक पूर्णकालिक अधिकारी होंगे तथा वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु पद धारण करेंगे।

(ii) परंतु यह कि कुलपति के पद पर आवेदन करने की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त अवधि के जारी रहने पर, उसे कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार उप-धारा (1) के तहत पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा और वह राज्य सरकार की सहमति पर अधिकतम 3 वर्षों के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेंगे।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे, और विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने के हकदार होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु यह कि कुलपति पहली बार में वोट नहीं देंगे, लेकिन वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक वोट का प्रयोग करेंगे।

(6) कुलपति राज्य सरकार को सूचित कर परिषद्/निकाय/प्राधिकार/समिति या बोर्ड की कोई भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(7) कुलपति को विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर तथा कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए परिनियमों और अध्यादेशों के अंतर्गत, स्वीकृत ग्रेड वेतनमान और कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के अन्य सेवकों की स्वीकृत संख्या के अधीन पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और अधिकारी नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारियों एवं अन्य सेवकों पर नियंत्रण एवं पूर्ण अनुशासनात्मक अधिकार की शक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का कड़ाई से रोस्टर के अनुसार पालन किया जायेगा। इन सभी नियुक्तियों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाऐगा।

(8) विश्वविद्यालय चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(क) कुलपति - अध्यक्ष

(ख) प्रति कुलपति - सदस्य

(ग) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून) - सदस्य

(घ) वित्त विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून) - सदस्य

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)- सदस्य

(9) कुलपति के प्रतिनिधि को विभागों और भवनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उपकरणों और विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी अन्य संस्थान का दौरा करने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(10) अध्यादेश या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलपति विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार और कुलसचिव के अलावा अन्य शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करेगा।

(11) यदि कार्यकारी परिषद् या अकादमिक परिषद् के सत्र के अलावा किसी भी समय कुलपति आश्वस्त हैं कि एक आपात स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें उन्हें कार्यकारी परिषद् या अकादमिक परिषद् में निहित किसी भी शक्ति के प्रयोग को शामिल करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस अधिनियम के तहत, ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे, और अपने द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे जो या तो इस प्रकार की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है या इसे अस्वीकृत कर सकती है।

(12) (i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह देखें कि क्या विश्वविद्यालय की कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार की जाती है या नहीं तथा कुलपति राज्य सरकार को ऐसी प्रत्येक कार्यवाही को प्रतिवेदित करेंगे जो ऐसे प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(ii) जब तक कुलपति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता कि विश्वविद्यालय की कार्यवाही इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के अनुसार है, कुलपति के पास प्रतिवेदित कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार होगा।

(13) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों के निर्णयों को प्रभावी करेंगे।

(14) कुलपति के पास विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों (प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार और कुलसचिव के अतिरिक्त) और विश्वविद्यालय के शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

(15) कुलपति, यदि उनकी राय है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और प्राधिकार की अगली बैठक में ऐसे मामले में उनके द्वारा की गई कार्रवाई को प्रतिवेदित करेंगे:

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकार की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह इस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसका निर्णय अंतिम होगाः

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय सेवा का कोई भी व्यक्ति जो इस उप- धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कार्यकारी परिषद् में उस तिथि से तीन माह के भीतर अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर उसे ऐसे कार्रवाई की सूचना दी जाती है और इसके उपरांत कार्यकारी परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, संशोधन या उलट सकती है।

(16) कुलपति, यदि उनकी राय है कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार का कोई भी निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकार की शक्तियों से परे है या लिया गया कोई भी निर्णय विश्वविद्यालय हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकार को इस तरह के निर्णय के साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकार या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निर्णय की समीक्षा करने से इनकार करता है या साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(17) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

12. राज्य सरकार के साथ कुलाधिपति और कुलपति द्वारा पत्राचार का तरीका:

(1) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, हर मामले में, कुलपति द्वारा कुलाधिपति को किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी पत्राचार की एक प्रति सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रेषित की जाऐगी।

(2) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्/निकाय/प्राधिकार/बोर्ड की बैठक, जैसा भी मामला हो, कुलपति द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचित कर आहूत की जाऐगी तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रिकॉर्ड के लिए कुलाधिपति को इसकी सूचना देगा।

(3) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, दीक्षांत समारोह के संबंध में सभी सूचनाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ध्यान में लाया जाएगा।

(4) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को कोई मानद उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्तावों को सहमति के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के समक्ष रखा जाएगा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कुलाधिपति को उनकी पुष्टि के लिए अवार्ड ग्रहण करने वालों की सूची भेजेगा।

(5) कुलाधिपति द्वारा इस विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने वाले प्रत्येक पत्र की एक प्रति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. कुलपति को हटाया जाना:

(1) यदि किसी भी समय और ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति: -

(क) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेश के द्वारा या उसके प्रदत्त किसी कर्तव्य का निर्वहण करने में विफल रहा हो, या

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल तरीके से काम किया हो, या

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहा हो,

कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कुलपति को एक लिखित आदेश द्वारा इसके कारणों को बताते हुए, उस तिथि से जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया हो परन्तु राज्य सरकार के अनुशंसा के उपरांत ही इस्तीफा माँग सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट आधारों को बताते हुए ऐसी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ स्पष्टीकरण का एक उचित अवसर नहीं दिया गया है।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि से यह माना जाएगा कि कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कुलपति का पद रिक्त माना जाएगा।

14. प्रति कुलपति:

(1) प्रति कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा उसी प्रकार की जाएगी जैसे कुलपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित है। प्रति कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रति कुलपति की नियुक्ति, सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्रति कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह ऐसी शर्तों पर, जो उप-धारा (1) के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु यह कि प्रति कुलपति के पद पर आवेदन करने की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त अवधि के जारी रहने पर, उसे उप-धारा (1) के अनुसार कुलाधिपति द्वारा फिर से नियुक्त किया जा सकता है और वह राज्य सरकार की सहमति पर अधिकतम तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) प्रवेश, परीक्षाओं के संचालन और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के लिए एवं छात्र कल्याण के लिए प्रति कुलपति जिम्मेदार होंगे एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रति कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं या उन्हें प्रदान किए जा सकते हैं।

(4) प्रति कुलपति को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे धारा 13 में कुलपति को हटाने के लिए निर्धारित किया गया है।

15. कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति में कार्य की व्यवस्था: अवकाश, बीमारी या किसी अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, प्रति कुलपति के लिए कुलपति की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना वैध होगा, ऐसे मामले कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तत्काल सूचित किए जायेंगे और यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति लंबी अवधि के लिए है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

16. वित्तीय सलाहकार:

(1) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह या तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी या भारत सरकार की किसी अन्य लेखा सेवा से उप महालेखाकार या उपर स्तर के अधिकारियों में एक होंगे जो इस पद पर

प्रतिनियुक्त या पुनर्नियोजित होंगे। वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्तावों में वित्तीय सलाहकार की सलाह अनिवार्य होगी।

(3) वित्तीय सलाहकार वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(4) वित्तीय सलाहकार कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा और वित्त अधिकारी सीधे वित्तीय सलाहकार के नियंत्रण में काम करेगा।

(5) वित्तीय निहितार्थ वाले सभी मामलों पर वित्तीय सलाहकार की सलाह प्राप्त करना कुलसचिव की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, यह कुलसचिव की जिम्मेदारी होगी कि वह इस तरह के प्रस्ताव को कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखते समय विशेष रूप से उल्लेख करे कि वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है या उसने प्रस्ताव से सहमति नहीं ली है।

(6) यदि किसी वित्तीय प्रस्ताव में कुलपति या कार्यकारी परिषद् वित्तीय सलाहकार की सलाह के विपरीत निर्णय लेती है, तो ऐसा निर्णय लागू नहीं किया जाएगा और यह मामला कुलपति द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(7) विश्वविद्यालय बजट तैयार करना, लेखाओं का अनुरक्षण, समय-समय पर लेखाओं का अंकेक्षण, अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन, राज्य सरकार से स्वीकृत बजट के अनुसार अनुदानों की समय पर प्राप्ति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान की व्यवस्था करना, विश्वविद्यालय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को निर्धारित तरीके से सही ढंग से और समय पर जमा करने की जिम्मेदारी वित्तीय सलाहकार की होगी।

(8) वित्तीय सलाहकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह देखें कि विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामले अधिनियम या इसके तहत बनाए

गए परिनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेश, विनियमों तथा नियमों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

17. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष:

(1) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों या सह प्राध्यापकों में से दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यह कि यदि कुलपति प्रशासनिक कारणों से आवश्यक समझे तो वह संकायाध्यक्ष को उसके मूल पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को शेष अवधि के लिए संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त शिक्षक अपने मूल पद पर ग्रहणाधिकार धारण करेगा और उन सभी लाभों के लिए पात्र होगा जो उन्हें अन्यथा अर्जित होते, यदि उन्हें छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया होता।

18. कुलानुशासक:

(1) कुलपति विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों में से कुलानुशासक की नियुक्ति करेंगे जो सह प्राध्यापक के पद से अन्यून हों।

(2) उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि यदि कुलपति किसी भी समय प्रशासनिक आधार पर उचित समझे तो कुलानुशासक को उसके मूल पद पर वापस भेज सकेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कुलानुशासक के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

(3) इस्तीफे या बीमारी या किसी अन्य कारण से कुलानुशासक की रिक्ति के मामले में, उसके कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) कुलानुशासक के कर्तव्यों का निर्धारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।

19. संकायाध्यक्ष:

(1) एक संकायाध्यक्ष को कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए संकाय के प्राध्यापकों में से नियुक्त किया जाएगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु यह कि एक संकायाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस रूप में पद पर बने रहना बंद कर देगा: यदि किसी भी समय किसी संकाय में कोई प्राध्यापक नहीं है, तो कुलपति, या कुलपति द्वारा अधिकृत संकायाध्यक्ष, इस संबंध में एक संकाय के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो।

(3) संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष होंगे और विभाग में शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

(4) संकायाध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, संकाय की समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

20. क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक:

(1) क्षेत्रीय केंद्र के प्रत्येक निदेशक को इस तरह से नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों/ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(2) निदेशक क्षेत्रीय केंद्र का अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख होगा।

(3) क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर चक्रानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(4) निदेशक की सेवाऐं विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा शासित होंगी।

(5) निदेशक की सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कहीं भी किया जा सकेगा।

(6) वह परिनियमों द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक निकायों की बैठकों में भाग लेगा।

(7) वह क्षेत्रीय केंद्र में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का कार्यान्वयन करेगा।

(8) निदेशक असज्जित आवास का हकदार होगा जिसके लिए उसे निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे आवास की अनुपलब्धता के मामले में वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मकान भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। उसे मोबाइल फोन और मुफ्त टेलीफोन सेवा प्रदान की जाएगी।

(9) निदेशक ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि और अन्य वित्तीय लाभों का हकदार होगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपने गैर-अवकाश कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है। वह कार्यालय और उसके निवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

(10) क्षेत्रीय केंद्र के विकास के लिए एक प्रबंधन बोर्ड होगा जो कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अनुसार गठित किया जाएगा।

(11) निदेशक प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे:

परंतु यह कि कुलपति, यदि उपस्थित हों, इसकी अध्यक्षता करेंगे।

(12) निदेशक के पास क्षेत्रीय केंद्र के प्रबंधन बोर्ड को क्षेत्रीय केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ दंड लगाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई/निलंबन की जाँच लंबित रखने की अनुशंसा करने की शक्ति होगी।

21. कुलसचिव:

(1) कुलसचिव एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीकों से और ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी।

इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलसचिव को राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा, जो अधिनियम के लागू होने के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति तक और ऐसी शर्तों पर होगा जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे।

(2) कुलसचिव का चयन अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

(4) कुलसचिव-

(क) कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश का प्रबंधन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किए गए सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा जो समय-समय पर परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमों और नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं तथा जो कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् द्वारा उस पर बनाए, प्रदत्त और लगाए जा सकते हैं;

(ङ) सामान्यतया कुलपति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो उसके कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा वांछित हो।

(5) इस अधिनियम या परिनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी उप-धारा (1) एवं (2) अनुसार, कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल के अध्यादेश द्वारा स्थापित किसी स्वायत्त निकाय के एक अधिकारी को कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

22. वित्त पदाधिकारी:

(1) वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, या जो समय-समय पर प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर कार्यकारी परिषद्, कुलपति, प्रति कुलपति या कुलसचिव द्वारा लागू किए गए हैं।

(2) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

(3) वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) वित्त पदाधिकारी की परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(5) जब वित्त पदाधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त पदाधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(6) वित्त पदाधिकारी-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और अपनी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सुझाव देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं या जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(7) कार्यकारी परिषद् के नियंत्रण के अधीन, वित्त पदाधिकारी-

(क) ट्रस्ट और संपन्न संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश को संरक्षित और प्रबंधित करेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित सीमा को पार नहीं किया गया है और सभी धन उसी उद्देश्य के लिए व्यय किए गए हैं जिसके लिए उन्हें प्रदान या आवंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बजट को तैयार करने और कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे;

(घ) नकदी और शेष राशि और निवेश की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे;

(ङ) राजस्व के संग्रह की प्रगति को देखना और नियोजित संग्रह के तरीकों पर सलाह देंगे;

(च) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के पंजीयों को अद्यतन रखा गया है और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यालयों, केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं, कॉलेजों और केंद्रों में उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक की जाँच की जाती है;

(छ) अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के संज्ञान में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, कॉलेज से कोई भी जानकारी मांगना जो वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझे।

(8) विश्वविद्यालय को देय किसी भी धन के लिए वित्त पदाधिकारी या कार्यकारी परिषद् द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा दी गई कोई रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त निर्वहन होगी।

23. परीक्षा नियंत्रक: परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और परीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या जो समय-समय पर प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर कुलपति या प्रति कुलपति द्वारा लागू किये गए हों।

24. पुस्तकालयाध्यक्ष: पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस तरह से और सेवा के ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

25. अन्य अधिकारी: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे।

26. विश्वविद्यालय के प्राधिकार: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:-

(1) कार्यकारी परिषद्;

(2) अकादमिक परिषद्;

(3) अध्ययन बोर्ड;

(4) वित्त समिति; तथा

(5) ऐसे अन्य प्राधिकार जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रुप में घोषित किया जा सकता है।

27. कार्यकारी परिषद्:

कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

पदेन सदस्य

(1) कुलपति

(2) प्रति कुलपति

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि

(4) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, एवं कुलानुशासक

(5) कुलसचिव- सदस्य सचिव

अन्य सदस्य

(6) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमानुसार निम्नलिखित क्रम में दो कुलपतियों को नामित किया जाएगा: -

(क) सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

(ख) राँची विश्वविद्यालय, राँची

(ग) कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

(घ) बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

(ङ) नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू

(च) झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची

(छ) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

(ज) विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

(झ) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची

(ञ) जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर

(ट) बाबा बैद्यनाथ धाम संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर

(7) विश्वविद्यालय विभागों के दो प्रमुख, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, चक्रानुक्रमानुसार नामांकन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(8) विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और सह प्राध्यापक में से दो विभाग प्रमुखों के अलावा और दो ऐसे सहायक प्राध्यापक जिन्हें कम से कम दस साल का शिक्षण अनुभव है, राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाऐंगे।

(9) राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले एक शिक्षाविद जो अपनी विद्वता और शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित हैं।

(10) राज्य सरकार द्वारा पाँच शिक्षाविद जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग से होगा और एक शैक्षणिक और सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जाऐंगे।

(11) यदि उपरोक्त उप-धारा (1) से (9) तक का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे व्यक्ति जिन्हें शिक्षा में रुचि हो, को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी परिषद् का सदस्य नामित करेंगे लेकिन यदि तीन वर्षों की उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति (1) से (9) तक किसी भी उप-धारा के तहत सदस्य बन जाता है तो इस उप-धारा के तहत नामित व्यक्ति की कार्यकारी परिषद् की सदस्यता तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जाएगी:

परंतु यह कि जब तक उप-धारा (7) और (8) में निर्दिष्ट सीटों को भरने के लिए नियुक्तियाँ नहीं की जाती, राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलाधिपति, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उन सीटों के विरुद्ध कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेंगे जो प्राध्यापक स्तर से अन्यून हैं:

परन्तु कुलाधिपति, धारा 10 में उप-धारा (2) के अनुसार राज्य सरकार की अनुशंसा और निर्णय के बाद कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।

कार्यकारी परिषद् की बैठक हर दो महीने में एक बार होगी। हालांकि, कुलपति जहाँ भी उचित समझे, एक विशेष बैठक बुला सकते हैं।

कार्यकारी परिषद् का क्रमिक उत्तराधिकार होगा और उसका कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति या रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी।

28. कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य: कार्यकारी परिषद्-

(1) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों (बंदोबस्ती, वसीयत और दान के साथ) और उनके लाभ के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को की गई संपत्ति के अन्य हस्तांतरणों को धारण, नियंत्रित और प्रबंधित करेगा;

(2) प्रपत्र को विनियमित करेगा, अभिरक्षा प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के उपयोग को विनियमित करेगा;

(3) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कुलपति और अकादमिक परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, अध्यादेश, परिनियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों का निर्धारण और विनियमन करेगा;

(4) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के निष्पादन में रखी गई निधियों का प्रबंधन करेगा;

(5) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय के लाभ के लिए स्वीकार करने की शक्ति होगी;

(6) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाएगा, और उनमें संशोधन या निरस्त करेगा;

(7) विनियमों पर विचार करेगा, और उसमें संशोधन या निरस्त करेगा;

(8) ऐसे लेखा पर वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट अनुमान और लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद संकल्प पारित करेगा;

(9) ऐसी डिग्रियाँ (स्नातक और स्नातकोत्तर), उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं स्थापित करेगा और प्रदान करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; तथा

(10) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अध्यादेश या परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए गए हैं।

29. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के कार्यालय की अवधि: इस अधिनियम के तहत अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कार्यकारी परिषद् के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के पद की अवधि, उनके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होंगी और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो कार्यकाल की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी:

परंतु यह कि किसी के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य को उस तारीख से पद रिक्त माना जाएगा जिस तारीख से वह उस निकाय का सदस्य नहीं रहेगा जिसने उसे नामित किया था।

30. अकादमिक परिषद्:

(1) अकादमिक परिषद् में सम्मिलित होंगे:-

पदेन सदस्य

(क)कुलपति

(ख) प्रति कुलपति

(ग)संकायाध्यक्ष

(घ)निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र

(ङ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं कुलानुशासक

(च)सभी विभागाध्यक्ष

(छ)विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष

(ज)कुलसचिव- सदस्य सचिव

अन्य सदस्य

(झ) विश्वविद्यालय सेवा के बाहर से अधिकतम दो विशेषज्ञ, आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अकादमिक परिषद् द्वारा सहयोजित किए जाएंगे:

परन्तु जब तक उपरोक्त उप-धाराओं में विनिर्दिष्ट स्थानों को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्तियाँ नहीं की जाती कुलाधिपति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से इतनी ही संख्या में ऐसे शिक्षकों को अकादमिक परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेंगे जो प्राध्यापक स्तर से अन्यून हैं।

अकादमिक परिषद् की बैठक महीने में एक बार होगी। तथापि, कुलपति, जब भी ठीक समझे, एक विशेष बैठक बुला सकते हैं।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के पद की अवधि उनके संबंधित चुनाव या नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी:

परंतु यह कि निर्वाचित या मनोनीत किसी भी सदस्य को उस तारीख से पदमुक्त माना जाएगा, जिस दिन वह उस निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है जिसने उसे चुना या नामित किया था।

31. अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य: अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक और नियोजन निकाय होगा और-

(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कुलपति और कार्यकारी परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी शैक्षणिक और योजना मामलों का निर्धारण और विनियमन;

(2) पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑनलाइन मोड और संपर्क कार्यक्रम और विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने सहित निर्देश और शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ एवं जिम्मेदारी;

(3) विश्वविद्यालय के विकास और सुधार की योजना और कार्यक्रम तैयार करना और अंतिम रूप देना, इसके क्षेत्रीय पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन जिसमें शिक्षण के नए तरीके शामिल हैं और समान संगठनों, अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करना;

(4) विभागों और क्षेत्रीय केंद्रों में शिक्षण के संचालन पर इस तरह से पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए;

(5) परीक्षा बोर्ड पर सामान्य नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी, और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा कर सकेंगे; तथा

(6) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि परिनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किए जाऐं।

32. संकाय, संकायाध्यक्ष और विभागों के प्रमुख:

(1) विश्वविद्यालय के संकायों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा और ऐसे अन्य संकाय शामिल हो सकते हैं जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐं:

परंतु यह कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना शिक्षा की किसी भी शाखा के संबंध में अकादमिक/कार्यकारी परिषद् द्वारा कोई भी संकाय/पद सृजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु अकादमिक परिषद् द्वारा शिक्षा की ऐसी किसी भी शाखा के संबंध में जिसके लिए विश्वविद्यालय के किसी विभाग में कोई प्रावधान नहीं है, कोई संकाय सृजित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकायों में प्रदान की जाने वाली डिग्रियाँ (स्नातक और स्नातकोत्तर) कला में होंगी।

(2) प्रत्येक संकाय, अकादमिक परिषद् के नियंत्रण के अधीन, अध्ययन के पाठ्यक्रमों का प्रभारी होगा तथा ऐसे विषयों में पाठ्यक्रम संचालित करेगा और शोध कार्य करेगा जो इस तरह के संकाय को विनियम द्वारा सौंपा जा सकता है।

(3) प्रत्येक संकाय के सदस्यों की कुल संख्या उस संख्या से अधिक नहीं होगी जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक संकाय में निम्न शामिल होंगे-

(क) शिक्षक सदस्यों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अकादमिक परिषद् द्वारा प्रत्येक संकाय को उतनी संख्या में शिक्षक सौंपे जाऐं;

(ख) ऐसे सदस्यों की संख्या जो अकादमिक परिषद् के सदस्य नहीं हैं, अकादमिक परिषद् द्वारा विशेषज्ञों के रूप में सहयोजित की जाऐगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक संकायों का सदस्य नहीं होगा।

i. प्रत्येक संकाय में शिक्षण के ऐसे विभाग शामिल होंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी। प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क) विभागाध्यक्ष;

ख) विभाग के शिक्षक;

ग) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

घ) संकायाध्यक्ष;

ङ) विभाग से जुड़े मानद प्राध्यापक, यदि कोई हों; तथा

च) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं।

ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक संकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

क) इसे आवंटित विभागों के अध्ययन पाठ्यक्रमों के बोर्डों का गठन करने के लिए; तथा

ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाऐं।

(5) (i) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा, परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, प्राध्यापकों में से संबंधित संकाय में दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा की जाएगी:

परन्तु यह कि जब किसी संकाय में प्राध्यापक की योग्यता रखने वाला कोई शिक्षक नहीं है, तो एक शिक्षक जो सह-प्राध्यापक से अन्यून हो, को संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) संकायाध्यक्ष उस संकाय में शिक्षण और शोध कार्य के संचालन के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(6) जहाँ किसी ऐसे शिक्षक को विभाग का प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो विभाग का सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक या सह प्राध्यापक नहीं है, ऐसी कोई भी नियुक्ति अकादमिक परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।

33. विभागीय परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागीय परिषद् होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) विभागाध्यक्ष

(ख) विभाग के सभी शिक्षक

(ग) दो छात्र - प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक कुलपति द्वारा और दूसरा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित

(2) विभागीय परिषद्, समय-समय पर, विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और इसके सुधार के उपाय सुझाएगी।

यह परिषद् वर्ष में कम से कम तीन बार विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथियों पर बैठक करेगी। दो बैठकों के बीच में तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

34. परीक्षा बोर्ड:

(1) विनियमों के प्रावधानों के अधीन, परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सलाह दी जाएगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और सदस्यों के रूप में संकायाध्यक्ष शामिल होंगे।

(2) परीक्षा बोर्ड, परीक्षा आयोजित करने और परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्नपत्र तैयार करने और संयमित करने, परीक्षा परिणामों की तैयारी, संयमन और प्रकाशन, ऐसे परीक्षा परिणामों को अकादमिक परिषद् में जमा करने और आम तौर पर परिनियमों को विनियमित करने, छात्रों की उपलब्धि के सही मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुलपति को सुझाव देगा तथा कुलपति अंतिम निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे:

परन्तु यह कि कुलपति परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत नामों के पैनल से प्रश्नकर्ता और परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

35. परीक्षाओं का आयोजन:

(1) विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित तिथियों से आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षाओं के परिणाम संबंधित परीक्षा के पूरा होने के साठ दिनों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

36. योजना और मूल्यांकन समिति:

(1) विश्वविद्यालय के विकास और सुधार के लिए योजना कार्यक्रम तैयार करने और इसके अध्ययन, समय-समय पर परीक्षण और मूल्यांकन, ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राप्त प्रगति, परीक्षण और विकास, शिक्षण के

नए तरीके (ऑनलाइन मोड सहित) और इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए समान संगठनों, अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक योजना और मूल्यांकन समिति होगी।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) कुलपति;

(ख) प्रति कुलपति;

(ग) तीन संकायाध्यक्षों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा;

(घ) कार्यकारी परिषद् के दो सदस्यों को नामित किया जायेगा;

(ङ) अकादमिक परिषद् के दो सदस्यों को नामित किया जायेगा;

(च) प्रत्येक वर्ष कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से तीन विभागाध्यक्षों को नामित किया जाएगा; तथा

(छ) अकादमिक हितों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो ऐसे सदस्य, जिन्हें समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, या तो हर साल बारी-बारी से या विषय या विषयों के अनुसार, जैसा कि आवश्यक हो।

(3) कुलसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(4) पदेन सदस्यों के अलावा तथा विशेष रुप से प्रदान किए गए को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होगा।

37. शोध परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में शोध कार्य के पंजीकरण और उचित मार्गदर्शन के लिए एक अलग स्नातकोत्तर शोध परिषद् होगी जो अकादमिक परिषद् के सामान्य नियंत्रण में काम करेगी।

(2) स्नातकोत्तर शोध परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

(क) कुलपति;

(ख) प्रति कुलपति;

(ग) संबंधित संकायाध्यक्ष;

(घ) सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और वैसे शिक्षक जिनके पास विश्वविद्यालय विभाग में सह प्राध्यापक के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव है; तथा

(ङ) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित संकाय के स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करने वाले चार शिक्षक।

(3) स्नातकोत्तर शोध परिषद् की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।

38. अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड:

अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे:

परन्तु यह कि अध्ययन बोर्ड, अकादमिक बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पर्याप्त संख्या होगी।

39. वित्त समिति:

(1) वित्त समिति में सम्मिलित होंगे-

(क) कुलपति अध्यक्ष के रुप में;

(ख) वित्तीय सलाहकार सदस्य के रुप में;

(ग) राज्य सरकार का एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामित तथा विशेष सचिव से अन्यून हो;

(घ) वित्त पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में; और

(ङ) चार ऐसे अन्य सदस्य जो कार्यकारी परिषद् के आधिकारिक सदस्य नहीं हैं, जो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्यों द्वारा और उनमें से परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चुने जाने हैं।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल उनके चुनाव की संबंधित तारीखों से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा और इसमें कोई और अवधि शामिल होगी जो उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बीच समाप्त हो सकती है तथा आकस्मिक रिक्तियों के भरने हेतु चुनाव या नामांकन नहीं होने पर अगले चुनाव या नामांकन की तिथि होगी।

(3) वित्त समिति-

(क) अपने वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रश्न पर विश्वविद्यालय को सलाह देगी;

(ख) विश्वविद्यालय के विभागों और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्रों के अनुमानों सहित विश्वविद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक अनुमान तैयार करेगी;

(ग) परिनियमों के अधीन, क्षेत्रीय केंद्रों के प्राक्कलनों की जाँच करने की शक्ति होगी;

(घ) परिनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलनों में प्रदान नहीं किए गए नए व्यय की प्रत्येक मद की जांच करने की शक्ति होगी;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के खातों के रखरखाव से संबंधित परिनियमों का कड़ाई से पालन के लिए जिम्मेदार होगी; तथा,

(च) वित्तीय प्रकृति के ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी जो समय-समय पर परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या कार्यकारी परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाऐंगे।

40. अयोग्यता:

(1) एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा,

(क) अगर वह विकृत चित्त का है; या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) अगर उसे विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है

(2) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या नहीं, तो प्रश्न राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

41. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार:

अन्य प्राधिकारों का संविधान, शक्तियाँ और कार्य, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किया जा सकता है, परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की पर्याप्त संख्या होगी।

42. परिनियम:

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए परिनियम उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्: -

(क) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम और शक्तियाँ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों का संविधान, शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य;

(घ) विभागों की संस्था, उनका रखरखाव और प्रबंधन;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वर्गीकरण, उनकी नियुक्ति का तरीका और उनकी मान्यता;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए नई पेंशन योजना और बीमा का गठन;

(छ) संख्या, योग्यता, ग्रेड वेतनमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण और विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार करने के बाद नए पदों के सृजन सहित अन्य पदों के सृजन के मामले में अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् की अनुशंसाऐं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के मामले में कार्यकारी परिषद् की अनुशंसा;

(ज) विश्वविद्यालय की आय और व्यय के लेखों का रखरखाव और प्रपत्र और पंजी जिसमें ऐसे लेखा रखे जाऐंगे;

(झ) शिक्षकों के एक पंजी का रखरखाव;

(ञ) मानद डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और विशिष्टता प्रदान करना; तथा

(ट) अन्य सभी मामले जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा निर्धारित किए गए या किए जा सकते हैं।

(ठ) इस अधिनियम के लागू होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम परिनियम, विनियम और अध्यादेश तीन महीने के भीतर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

43. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्ति हेतु कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा: इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना निम्न कार्य नहीं करेगाः-

(क) वित्तीय दायित्व से संबंधित कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण पद सृजित करना:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण पद सृजित कर सकता है जो स्व-वित्तपोषित योजनाओं पर चलता है और जिसमें वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है, लेकिन वे भविष्य में इन पदों की पुष्टि के लिए दावा नहीं करेंगे;

(ख) शिक्षण या गैर-शैक्षणिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष वेतन या भत्ता या किसी भी प्रकार का अन्य पारिश्रमिक, अनुग्रह भुगतान, पेंशन या वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी अन्य लाभ की स्वीकृति;

(ग) विकास योजना पर किसी भी प्रकार का व्यय वहन करना।

44. परिनियम किस प्रकार बनाया जाऐगा:

(1) कार्यकारी परिषद् या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अकादमिक परिषद् द्वारा प्रस्तुत करने पर परिनियम बना सकती है या उसमें संशोधन या निरस्त कर सकती है:

परन्तु यह कि कार्यकारी परिषद् ऐसी कोई भी परिनियम नहीं लाऐगी जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारों की स्थिति, शक्तियों और गठन को प्रभावित कर सकती है, जब तक कि उस प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित राय प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो तथा कार्यकारी परिषद् को लिखित में ऐसी राय पर विचार करना होगा।

(2) यदि किसी परिनियम या उसके किसी हिस्से का प्रारुप अकादमिक परिषद् द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद पुनर्विचार के लिए अकादमिक परिषद् को वापस भेज दिया जाता है और अकादमिक परिषद् सहमत नहीं होती है, तो कार्यकारी परिषद् द्वारा सुझाए गए संशोधन पर पुनर्विचार करने के बाद यह कार्यकारी परिषद् के लिए परिनियम या परिनियम के एक हिस्से को ऐसे रूप में पारित करने के लिए वैध होगा जैसा कि वह उचित समझे और कार्यकारी परिषद् का निर्णय उप-धारा (3) और उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों के अधीन अंतिम होगा।

(3) यदि किसी भी परिनियम का प्रारुप कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित किया गया है तो उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो यह घोषणा कर सकती है कि वे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, या प्रदत अनुमोदन को रोकते हैं।

(4) कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित एक परिनियम तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

45. अध्यादेश:

(1) कार्यकारी परिषद् इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए अध्यादेश बना सकती है, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन

(ख) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश, डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा के लिए शुल्क

(ग) विश्वविद्यालय की समिति का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य

(घ) सभी मामले जो परिनियम या अधिनियम के अनुसार अध्यादेशों द्वारा प्रदान किए जाने हैं या प्रदान किए जा सकते हैं

(2) उप-धारा (1) के तहत कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाया गया एक अध्यादेश राज्य सरकार को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके द्वारा अध्यादेश को संशोधन के साथ या बिना अनुमति देगा या वह उस पर से अनुमति रोक सकता है।

(3) एक अध्यादेश तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (2) के तहत अनुमोदित नहीं किया जाता है।

46. विनियम कैसे बनाया जाऐगा:

(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन विनियमों को निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान करने के लिए बनाया जा सकता है, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर), प्रमाण पत्र और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ख) वह शर्त जिसके तहत विद्यार्थियों को डिग्री (स्नातक और स्नातकोत्तर) या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वह ऐसी डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे;

(ग) संकायों में विभागों का गठन;

(घ) प्रश्न पत्र निर्धारकों और परीक्षकों की नियुक्ति की पद्धति तथा कर्तव्य और परीक्षाओं के संचालन की शर्तें; तथा

(ङ) सभी मामले जो अध्यादेशों, परिनियमों या अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा प्रदान किए जाने हैं या प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) (i) उप-धारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा बनाए गए एक विनियम को जल्द से जल्द कार्यकारी परिषद् को विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जहां कार्यकारी परिषद् कोई संशोधन करना चाहती है, तो वह अकादमिक परिषद् की राय प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

(ii) ऐसा विनियम उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से इसे राज्य सरकार द्वारा किसी संशोधन के या बिना किसी संशोधन के अनुमोदित किया जायेगा या ऐसी अन्य तिथि से जो कार्यकारी परिषद् निर्धारित करे।

47. नियम:

(1) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाई गई परिनियमों के तहत गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकार और बोर्ड निम्नलिखित मामलों के लिए अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुरूप नियम बना सकते हैं, अर्थात्:-

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ख) किसी भी ऐसे प्राधिकारों और बोर्डों के अधीनस्थ समितियों द्वारा अपनी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और कोरम बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ग) उन सभी मामलों के लिए जो केवल अध्यादेशों, परिनियमों, अधिनियम या विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं, नियमों का निर्धारण करना; तथा

(घ) अन्य सभी मामलों के लिए विशेष रूप से ऐसे प्राधिकारों, समितियों और बोर्डों से संबंधित जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकार ऐसे प्राधिकार के सदस्यों को बैठकों की तिथियों और बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए नियम बना सकता है।

48. कतिपय परिनियम आदि के निर्माण संबंधित मामलों में उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा: विश्वविद्यालय सभी प्रस्तावित परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के प्रारुप राज्य सरकार के विचारार्थ उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद ही इसका पालन करेगा।

49. छात्र संघ:

(1) विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से मिलकर विश्वविद्यालय के छात्रों का एक संघ होगा।

(2) विश्वविद्यालय छात्र संघ का संगठन और कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

50. वार्षिक प्रतिवेदन:

(1) विश्वविद्यालय के कामकाज पर वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति के निर्देशन में तैयार की जाएगी और इसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किया जाएगा तथा इसे कार्यकारी परिषद् को वैसी तिथि को या उससे पहले, जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा, जो इस तरह की कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संकल्प पारित कर सकती है, जैसा कि ऐसे संकल्पों में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

परन्तु यह वार्षिक लेखों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और न ही वार्षिक प्रतिवेदन पर संकल्प में ऐसा कुछ भी होगा जो वार्षिक लेखाओं के अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुमान लगाने में प्रभावी हो:

परन्तु यह और कि वार्षिक लेखाओं के प्रतिवेदन, संकल्प सहित, यदि कोई हो, कार्यकारी परिषद् के अगले सत्र में विचारार्थ विधायिका के समक्ष रखी जाएगी।

(2) कार्यकारी परिषद्, उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगी, जिसे यथाशीघ्र, यदि आवश्यक हो तो विधायिका के समक्ष रखा जाएगा।

वित्त, लेखा और विश्वविद्यालय का लेखा अंकेक्षण

51. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना:

(1) पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि होगी और यह निधि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय में निहित होगी, जिसमें निहित प्रावधानों के अधीन राशियों को जमा किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि से विश्वविद्यालय को अभीदत्त या अनुदत्त सभी राशि तथा इस अधिनियम और परिनियम, अध्यादेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा उधार ली गई सभी राशि;

(ख) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विभागों द्वारा तथा उनकी ओर से प्राप्त सभी राशि तथा विश्वविद्यालय को भुगतान की गई रकम;

(ग) विश्वविद्यालय को किए गए विन्यासों से अर्जित सभी ब्याज और लाभ तथा किसी भी स्थानीय प्राधिकार या निजी व्यक्ति से प्राप्त सभी योगदान, दान और सब्सिडी;

(घ) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के तहत देय और लगाए गए सभी शुल्क; तथा

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ, जो उप-वर्गों (क), (ख), (ग) या (घ) में शामिल नहीं हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का II) के अर्थ में विश्वविद्यालय की निधि को ऐसे अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का II) द्वारा अधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार से कोई अनुदान या अंशदान केवल सार्वजनिक खाता बही में ही रखा जाएगा।

52. विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अभिदान:

(1) राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि में से एक आवर्ती अनुदान विश्वविद्यालय निधि में वार्षिक रूप से अंशदान करेगी जिसमें आवर्ती प्रकृति के सभी व्यय शामिल होंगे।

(2) राज्य सरकार कुलपति के परामर्श से वार्षिक आवर्ती अनुदान की राशि की गणना करेगी तथा प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर राशि को संशोधित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, समय-समय पर, विश्वविद्यालय या क्षेत्रीय केंद्रों के विस्तार और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय निधि में ऐसे अतिरिक्त अनुदानों का अंशदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।

53. क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय का वार्षिक प्राक्कलन:

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र का निदेशक, यदि कोई हो, यदि ऐसा करने के लिए आवश्यक हो, तो निर्धारित प्रपत्र में अपनी संभावित आय का एक अनुमान तैयार करेगा जिसमें विन्यासों और वसीयत से आय, यदि कोई हो, और अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यय शामिल है और कार्यकारी परिषद् द्वारा या तो बिना किसी परिवर्तन के या परिवर्तनों के साथ, जो वह ठीक समझे, इसे स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) (i) उप-धारा (1) के तहत प्राक्कलन प्राप्त होने पर इसे कुलपति द्वारा वित्त समिति को तुरंत जाँच और प्रतिवेदन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद, वित्त समिति प्राक्कलन की प्रत्येक मद और विशेष रूप से क्षेत्रीय केंद्रों को सहायता अनुदान से संबंधित अनुमान के हिस्से की जाँच करेगी और कार्यकारी परिषद् को एक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) कार्यकारी परिषद् वित्त समिति के अनुमान और प्रतिवेदन पर अविलम्ब विचार करेगी और क्षेत्रीय केन्द्रों को उसमें दोष, यदि कोई हो, के सुधार के लिए प्राक्कलन लौटा देगी।

(3) वित्त समिति आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करेगी और ऐसी तिथि को या उससे पहले, जो निर्धारित की जा सकती है, कार्यकारी परिषद् को व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाले एक ज्ञापन के साथ अग्रेषित करेगी जो प्राक्कलन को या तो बिना किसी परिवर्तन के या ऐसे परिवर्तन के साथ, जो वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकती है।

(4) उप-धारा (3) के तहत तैयार किया गया प्रत्येक प्राक्कलन, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा तथा क्षेत्रीय केंद्रों को अनुदानों के आवंटन सहित विश्वविद्यालय के सभी दायित्वों तथा इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेश, विनियम, नियमों के कुशल प्रशासन को पूरा करने के लिए प्रावधानित होगा।

(5) इस धारा के तहत प्रत्येक प्राक्कलन इस तरह के रूप में तैयार किया जाएगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

54. बजट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

(1) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, विश्वविद्यालय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम दो

महीने पहले राज्य सरकार को भेजेगा। विश्वविद्यालय उसमें आगामी वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान प्रदर्शित करेगा। राज्य सरकार बजट को ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, के साथ लौटाएगी और विश्वविद्यालय यथा संशोधित और अनुमोदित बजट के अनुरूप कार्य करेगा।

(2) विश्वविद्यालय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय राज्य सरकार को एक अनुपूरक बजट भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे संशोधनों, जैसा वह उचित समझे, के साथ विश्वविद्यालय को बजट लौटा देगी।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यय बजट का हिस्सा न बन जाए, जैसा कि उप धारा (1) और (2) के तहत अंतिम रूप से अनुमोदित है।

55. कार्यकारी परिषद् द्वारा प्राक्कलन पर विचार: कार्यकारी परिषद् धारा 54 की उप-धारा (3) के तहत उसके सामने रखे गए प्रत्येक अनुमान पर विचार करेगी और उसे बिना किसी बदलाव के या ऐसे परिवर्तनों के साथ स्वीकृति देगी, जो वह ठीक समझे।

56. बजट में शामिल नहीं किए गए व्यय पर प्रतिबंध:

(1) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से कोई भी राशि तब तक खर्च नहीं की जाएगी जब तक कि उसके खर्च को वर्तमान बजट प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया जाता है अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुनर्विनियोजन द्वारा अथवा अंतिम शेष पर निकासी द्वारा उसकी पूर्ति की जाए।

(2) जमा शेष राशि को उस राशि से कम नहीं किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

57. किन उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जाऐगी: विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्यों पर लागू होगी:-

(क) इस अधिनियम और परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए ऋणों की अदायगी के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभागों और क्षेत्रीय केंद्रों के रखरखाव के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अग्रिमों के भुगतान और किसी भी भविष्य निधि योगदान या पेंशन या ऐसे किसी भी अधिकारी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उपादान के लिए;

(घ) कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारों के सदस्यों या इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए परिनियमों, विनियमों, नियम के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों की यात्रा और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए;

(ङ) क्षेत्रीय केन्द्रों और अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए, यदि कोई हो;

(च) विश्वविद्यालय निधि की अंकेक्षण की लागत और किसी विभाग या क्षेत्रीय केन्द्रों के लेखाओं की अंकेक्षण की लागत का भुगतान करने के लिए;

(छ) किसी वाद या कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार है;

(ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को पूरा करने में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी भी खर्च के भुगतान के लिए; तथा

(झ) किसी भी अन्य खर्च के भुगतान के लिए, जो पूर्ववर्ती उप-धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन कार्यकारी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए व्यय घोषित किया गया है।

58. विश्वविद्यालय निधि का लेखा एवं अंकेक्षण:

(1) (i) विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार कुलपति के निर्देश के अनुसार वार्षिक बजट तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट में समस्त स्रोतों से आय तथा व्यय की समस्त मदों का उल्लेख होगा।

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए परिनियमों के अधीन, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार झारखण्ड द्वारा नियुक्त लेखा अंकेक्षकों द्वारा की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की एक प्रति, अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ, प्रतिवेदन प्राप्त होने के छः महीने के अंदर कार्यकारी परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी।

(3) (i) उप-धारा (2) के तहत लेखा अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के छः महीने के भीतर कार्यकारी परिषद् एक एडहॉक समिति नियुक्त करेगी जिसमें स्थानीय निकाय अंकेक्षण के प्रभारी, उप महालेखाकार/वरिष्ठ उप महालेखाकार और/कार्यकारी परिषद् के आठ ऐसे सदस्य होंगे जो वित्त समिति के सदस्य नहीं हैं।

(ii) उक्त समिति को विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के रूप में जाना जाएगा और उसके पास नियंत्रक और संवितरण अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन की जांच करने के उद्देश्य से शक्ति होगी और यह-

(क) भविष्य में विश्वविद्यालय निधि के किसी भी दुरूपयोग या विश्वविद्यालय के लेखों में अनियमितता से बचने के उपाय सुझाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों से या ऐसा भुगतान करने या अधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति से कानूनों के विपरीत कोई भी भुगतान हुए किसी भी राशि की वसूली, या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से किसी भी हानि या कमी की राशि या कोई भी राशि जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी राशि का खाते में लाने में विफल रहने वाले व्यक्ति द्वारा खाते में नहीं लाई गई है, की वसूली के बारे में सुझाव देना।

(4) अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के प्रतिवेदन को कार्यकारी परिषद् और राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो वे उचित समझें।

(5) राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह या तो विश्वविद्यालय अंकेक्षण समिति के सुझावों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसने बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक या इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी व्यय को खर्च या अधिकृत किया है या किसी भी राशि का हिसाब देने में विफल पाया गया है, से परिनियमों में निर्धारित पद्धति से राशि की प्रतिपूर्ति करने की माँग करे:

परन्तु यह कि प्रतिपूर्ति का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकार, अधिकारी, अन्य कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

59. विश्वविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण की राज्य सरकार की शक्ति: राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के लेखाओं का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे, करा सकती है और अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उसमें उठाए गए बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से एक प्रतिवेदन मांगने के बाद और विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और उसके बाद विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर करेगा। तथापि, राज्य सरकार किसी भी लेखा को महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण करने का आदेश दे सकती है।

60. रिटर्न और सूचना: विश्वविद्यालय राज्य सरकार को अपनी संपत्ति या गतिविधियों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य जानकारी देगा जिसकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

61. क्षेत्रीय केंद्रों का निरीक्षण:

(1) क्षेत्रीय केंद्र ऐसे प्रतिवेदन, रिटर्न और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद, केंद्रों की दक्षता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए माँग सकती है।

(2) कार्यकारी परिषद् ऐसे प्रत्येक केंद्र का समय-समय पर निरीक्षण करवाएगी।

(3) कार्यकारी परिषद् केंद्र के लाभ के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निरीक्षण किए गए किसी भी केंद्र को बुला सकती है।

(4) निरीक्षण दल निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसे तत्पश्चात् राज्य सरकार को किसी कार्यवाही के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगा।

62. शिक्षकों और अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति: शिक्षकों और अधिकारियों (कुलपति, वित्तीय सलाहकार, प्रति कुलपति और कुलसचिव के अलावा) के पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में, मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम यथातथ्यत: लागू होंगे। विश्वविद्यालय के विशेष विभागों से संबंधित विशेष आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए परिनियम बनाए जाऐंगे। ये नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा नियमों के तहत झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसाओं पर की जाऐंगी।

63. नियुक्ति की शर्तें: कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अधीन, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामले को विश्वविद्यालय चयन समिति की सलाह प्राप्त करने के बाद इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।

64. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में नामांकन के लिए अहर्ताऐं:

(1) (i) कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इंटरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा आयोजित किसी अन्य समकक्ष परीक्षा वैसे संस्थान से उत्तीर्ण नहीं की है, जो किसी कानून द्वारा वर्तमान में स्थापित है और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है:

परन्तु यह कि जिन विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा या पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका नामांकन अध्यादेश और विनियमों में निर्धारित तरीके से जारी रहेगा।

(ii) राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संकायों और विभागों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकती है और इसके लिए जारी निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

(iii) राज्य सरकार की आरक्षण नीति विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगी।

(iv) विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों के तहत समय-समय पर अकादमिक परिषद् द्वारा तय की जाएगी।

(2) मानद उपाधियाँ: कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् की अनुशंसा पर और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव दे सकती है, जो अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के अनुसार कार्य करेगी:

परन्तु आपात स्थिति में कार्यकारी परिषद्, स्वप्रेरणा से ऐसे प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) डिग्री की निकासी, आदि: कार्यकारी परिषद्, अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी डिग्री (स्नातक या स्नातकोत्तर) या अकादमिक सम्मान या विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा वापस ले सकती है (विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि के मामले में, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी):

परन्तु यह कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस नहीं दिया जाता है,

जो नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण दर्शाते हुए कह सकता है कि ऐसा संकल्प क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए और जब तक उनकी आपतियाँ, यदि कोई हो, और उन आपतियों के समर्थन में वे जो भी प्रमाण पेश कर सकते हैं, पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया गया हो।

65. विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना:

(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपनी सभी या कोई भी शक्ति, जैसा वह उचित समझे, प्रति कुलपति और ऐसे अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई जो उन्हें उचित लगे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन या दंडस्वरूप निष्कासित किया जाए या किसी विभाग, क्षेत्रीय केंद्रों या विश्वविद्यालय के एक संकाय में एक निश्चित अवधि के लिए पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाए या ऐसी राशि के जुर्माने से दंडित किया जाए जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट है, या विश्वविद्यालय या विभाग या संकाय द्वारा एक या अधिक वर्षों के लिए आयोजित परीक्षा या परीक्षाओं को देने से वंचित किया जाए या उस परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम, जिसमें वह उपस्थित हुए, रद्द किया जाए।

(4) क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुखों को विश्वविद्यालय में अपने संबंधित केंद्रों, संकायों और शिक्षण विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जो ऐसे केंद्रों, संकायों और शिक्षण विभाग के उचित संचालन हेतु आवश्यक हों।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कुलपति, निदेशकों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन और उचित संचालन के विस्तृत नियम बनाए जाएँगे।

क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशक, संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख भी उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरक नियम बना सकते हैं।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि वह स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है।

66. विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपील और मध्यस्थता की प्रक्रिया:

(1) कोई भी विद्यार्थी या परीक्षा के लिए उम्मीदवार जिसका नाम कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो, के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की तालिका से हटा दिया गया है, और जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित कर दिया गया हो, ऐसे आदेश या उसके द्वारा इस तरह के संकल्प की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर, कार्यकारी परिषद् में अपील कर सकता है और कार्यकारी परिषद् चाहे जैसा भी मामला हो, कुलपति या समिति के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकती है।

(2) किसी छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न कोई भी विवाद, ऐसे छात्र के अनुरोध पर, राज्य सरकार द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

67. विद्यार्थी परिषद्:

(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी परिषद् का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छात्र परिषद् के अध्यक्ष होंगे;

(ख) बीस छात्रों को अकादमिक परिषद् द्वारा अध्ययन, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में योग्यता के आधार पर नामांकित किया जाएगा; तथा

(ग) छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इतनी संख्या जितनी अकादमिक परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले को, यदि अध्यक्ष की सहमति हो, विद्यार्थी परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा, और उसे किसी भी बैठक की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, जब मामला विचारार्थ लिया गया हो।

(2) विद्यार्थी परिषद् का कार्य सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्रों के कल्याण और महत्व के अन्य मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को सुझाव देना होगा और ऐसे सुझाव राय की सहमति के आधार पर लिए जाएँगे।

(3) विद्यार्थी परिषद् की बैठक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार विशेषकर उस वर्ष की शुरुआत में होगी।

68. आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ: विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन के लिए विश्वविद्यालय एक आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का गठन करेगा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों की शिक्षा में गुणवत्ता, पहुँच और समानता हासिल करेगा जैसा कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

69. प्लेसमेंट प्रकोष्ठ: विश्वविद्यालय इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों द्वारा निर्धारित, छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का गठन करेगा।

70. आयोग की नियुक्ति:

(1) राज्य सरकार किसी भी समय, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक आयोग का गठन कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत गठित आयोग निम्नलिखित कार्यों की जाँच करेगी और निम्न पर प्रतिवेदन समर्पित करेगी:-

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज;

(ख) विश्वविद्यालय, उसके क्षेत्रीय केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्थिति, यदि कोई हो;

(ग) सुधार लाने की दृष्टि से इस अध्यादेश, परिनियमों, अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन; तथा

(घ) ऐसे अन्य मामले जो इसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) उप-धारा (2) के तहत अनुशंसाऐं प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इसे विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों को विचार और प्रतिवेदन हेतु भेज सकती है, और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे। वह उक्त आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश का पालन करेगा।

71. रिक्तियों को भरना: विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) के बीच मृत्यु, इस्तीफे या अन्यथा के कारण सभी रिक्तियाँ, जितनी जल्दी हो सके, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाऐंगी, जिसके द्वारा नियुक्ति, मनोनयन, निर्वाचन किया गया है या उस सदस्य को सहयोजित किया गया है जिसका स्थान रिक्त हो गया है, और जो व्यक्ति नियुक्त, नामित, निर्वाचित या सहयोजित नहीं है, वह निर्धारित अवधि की असमाप्त अवधि के लिए ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी रिक्तियों को नियुक्ति, नामांकन या पूर्वोक्त तरीके से चुनाव द्वारा भरने तक, रिक्तियाँ, यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या निकाय ऐसा निर्णय लेता है, तो ऐसी रिक्ति को भरने योग्य किसी व्यक्ति के सहयोजन से भरा जा सकता है और इस प्रकार

सहयोजित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकार या निकाय के सदस्य के रूप में पद धारण करेगा जब तक कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त, नामित या निर्वाचित नहीं हो जाता।

72. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी: विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में केवल एक रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

73. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा की शर्तें:

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी और विश्वविद्यालय विभाग में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक के अतिरिक्त वैसे अधिकारी एवं शिक्षक जो भारत में सार्वजनिक सेवाओं के सदस्य हैं और जिनकी सेवाऐं उप-धारा (2) के खंड (क) के तहत विश्वविद्यालय को दी गई हैं, एक लिखित अनुबंध पर नियुक्त होंगे, जिसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को किसी भी विपरीत एकरारनामा के अभाव में, परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

(2) भारत में सार्वजनिक सेवाओं का कोई भी सदस्य जिसे विश्वविद्यालय में किसी पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है, संबंधित सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन और उसकी शर्तों के अधीन, निम्न विकल्पों के अन्तर्गत रहेंगे:-

(क) विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएँ देने और किसी भी समय शेष रहते हुए, संबंधित सरकार के विकल्प पर सरकार की सेवा में वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी हो; या

(ख) विश्वविद्यालय की सेवा में प्रवेश करने पर सरकार की सेवा से इस्तीफा दे:

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद, संतुष्ट हो जाता है कि एक अधिकारी या शिक्षक,

सरकार का सेवक, जिसकी सेवाएँ विश्वविद्यालय को दी गई हैं, बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी की सजा का पात्र है, विश्वविद्यालय ऐसे अधिकारी या शिक्षक के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को लोक सेवा आयोग के निष्कर्षों सहित सभी संबंधित कागजात के साथ सरकार को अग्रेषित करेगा, और उसके बाद सरकार तुरंत उक्त अधिकारी या शिक्षक को सरकार की सेवा में वापस कर देगी और इस तरह से कार्रवाई करेगी जैसा वह उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु ठीक समझे।

(3) विश्वविद्यालय का शिक्षक या कोई अधिकारी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रहणाधिकार ले सकता है। उनके सभी सेवा लाभ ग्रहणाधिकार की अवधि के दौरान सुरक्षित रहेंगे।

(4) जब शिक्षकों की किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में कोई परिनियम/विनियम/नियम आदि नहीं बनाए जाते हैं तो उन सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

74. वरीयता सूची:

(1) जब कभी, परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को वरीयता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना या किसी प्राधिकार का सदस्य होना है, तो वरीयता ऐसे व्यक्ति को उसके ग्रेड में निरंतर सेवा की अवधि और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, जो कार्यकारी परिषद् समय-समय पर निर्धारित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, जिन पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण और अद्यतन वरीयता सूची तैयार करे।

(3) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी में समान अवधि की निरंतर सेवा है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी और यदि जन्म तिथि भी समान है तो वरिष्ठता का निर्णय उनकी शैक्षणिक और अनुसंधान योग्यता के आधार पर किया

जाएगा। किसी भी भ्रम या संदेह की स्थिति में, कुलसचिव अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और ऐसे किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, मामले को कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

75. सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के कैरियर में उन्नयन के माध्यम से प्रोन्नति के लिए मानदंड / विनियम: विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के कैरियर में उन्नति के माध्यम से पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित मानदंडों / विनियमों द्वारा शासित होगी।

76. सेवानिवृत्ति:

(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अतिरिक्त-

(क) शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख वह तिथि होगी जिस दिन वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं;

(ख) अन्य सभी कर्मचारियों की तिथि जो उपरोक्त (क) में शामिल नहीं हैं, वह तिथि होगी जब वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं;

(ग) यदि इस राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जिसे उस विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना है, इस विश्वविद्यालय की सेवा में शामिल होता है, तो ऐसा कर्मचारी उस तिथि को सेवानिवृत्त होगा, जिस दिन वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परन्तु यह कि एक शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख महीने के पहले दिन आती है, पिछले महीने की आखिरी तारीख के दोपहर से सेवा से सेवानिवृत्त हो जाऐंगे और यदि सेवानिवृत्ति की तारीख महीने की किसी अन्य तारीख को आती है, वह उस महीने की अंतिम तिथि के दोपहर में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय 65 और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, जैसा भी मामला हो, सेवा की अवधि का विस्तार नहीं करेगा या किसी शिक्षण या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी को पुनः नियुक्त नहीं करेगा।

(2) विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी शिक्षण या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी से सेवानिवृति मांग सकता है, जिसने अपनी पहली नियुक्ति की तिथि से विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत होने के लिए 23 वर्ष की अर्हक सेवा या 27 वर्ष की कुल सेवा पूरी कर ली है, यदि यह मानता है कि उसका आचरण या दक्षता ऐसी है जो उसे सेवा में बने रहने को उचित नहीं ठहराती है।

(3) (i) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को लिखित में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद, उस तिथि से सेवानिवृत्त हो सकता है, जिस दिन ऐसे शिक्षण या गैर-शिक्षण - शिक्षण कर्मचारी ने 32 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है या 52 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, या उसके बाद ऐसी तिथि से जो नोटिस में निर्दिष्ट की जा सकती है:

परन्तु यह कि निलंबन के आदेश के तहत विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कार्यकारी परिषद् के विशिष्ट अनुमोदन के बिना सेवानिवृत्त नहीं होगा।

(ii) विश्वविद्यालय, जनहित में, किसी भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद या इस तरह के नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि का भुगतान कर सेवानिवृत्ति की मांग ऐसी तिथि से कर सकता है जब वह कर्मचारी 32 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है या 52 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या उसके बाद ऐसी तारीख से, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जा सकती है।

77. आचार संहिता:

(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की आचार संहिता परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी चुनाव द्वारा या किसी अन्य संस्था के किसी पद या सदस्यता में शामिल होता है, जिसके कारण

विश्वविद्यालय का काम प्रभावित होता है, तो ऐसे कर्मचारी को विश्वविद्यालय से एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व अनुमति और असाधारण अवकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(3) विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी कुलपति की पूर्व अनुमति के बिना अपने कार्यालय के अलावा किसी भी कारोबार, व्यवसाय या किसी अन्य काम में खुद को संलग्न नहीं करेगा और बिना वेतन के अवकाश पर जाने की स्थिति में वह विश्वविद्यालय निधि से कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य संस्थान में अपने कर्तव्य की प्रकृति को देखते हुए उसे अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित करने की अनुमति दी या नहीं दी जा सकती है। ऐसे असाधारण अवकाश परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे:

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उसे उसकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि बिना वेतन के विशेष अवकाश पर माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी की सेवा शर्त को विधिवत संरक्षित किया जाएगा ताकि वह वेतन, पदोन्नति, वरिष्ठता में वृद्धि अर्जित करना जारी रख सके और सदस्यता की अवधि पूरी होने पर विश्वविद्यालय में अपने कर्तव्यों को पुनः प्रारंभ कर सके:

परंतु यह भी कि विश्वविद्यालय निकाय के ऐसे कर्मचारी की सदस्यता उस तारीख से समाप्त मानी जाएगी, जिस तारीख से वह केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन गया है।

78. नई पेंशन योजना, उपादान और बीमा: विश्वविद्यालय, ऐसी रीतियों और शर्तों के अधीन, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, उपादान और बीमा का गठन करेगा (उन लोगों को छोड़कर जो भारत के लोक सेवा के सदस्य हैं और जिनकी सेवाऐं विश्वविद्यालय को उधार दी गई हैं)।

79. अस्थायी प्रावधान: इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और राज्य

सरकार के पूर्व अनुमोदन से एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों के प्रावधान के अधीन या अन्यथा, विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी कार्य का निर्वहन प्रावधान को पूरा करने के उद्देश्य से करेंगे या ऐसे किसी भी कर्तव्य का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकार द्वारा निर्वहन या प्रयोग किए जाने हैं, जिस समय विश्वविद्यालय के अधिकारी या प्राधिकार अस्तित्व में नहीं है, जिनके द्वारा ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन किया जाना है।

80. कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति के गठन के उद्देश्य से निर्वाचन: राज्य सरकार, कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति के गठन के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्राधिकारों के सदस्य पदावधि एवं कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् की तिथि से अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करें, जो उक्त तिथि से प्रारंभ माना जाएगा।

81. प्राधिकारों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद: यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विधिवत रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

82. प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी: विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई भी कार्यवाही किसी रिक्ति या सदस्यों के बीच रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

83. विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाण का तरीका: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी प्राधिकार या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति, विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय के कब्जे में कोई अन्य दस्तावेज, या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए गए किसी भी पंजी में कोई प्रविष्टि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा। संकल्प या दस्तावेज या पंजी में प्रविष्टि का अस्तित्व और उन मामलों और लेनदेन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जहां उनके मूल, यदि प्रस्तुत किए जाते, तो साक्ष्य में स्वीकार्य होते।

84. नियम बनाने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति होगी:-

(क) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए आचार एवं अनुशासन संहिता;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की पद्धति और प्रक्रिया;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि को बनाए रखने की प्रक्रिया सहित विश्वविद्यालय की निधि और लेखा को बनाए रखने की पद्धति और प्रक्रिया; तथा

(ङ) ऐसे अन्य विषय जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम, जैसे ही वह बनाए जाते हैं, सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाएँगे।

85. निर्देश देने की शक्ति: राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत किसी भी मामले में विश्वविद्यालय को निर्देश देने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा।

86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के प्रावधानों को, अधिनियम के अधीनस्थ विश्वविद्यालय में लागू करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच किसी भी विवाद के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय, हर मामले में अंतिम होगा।

उद्देश्य एवं हेतु

पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एवं हेतु इस प्रकार है:-

1. पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

2. विश्वविद्यालय का मुख्यालय जमशेदपुर (झारखण्ड) में होगा और यह राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्र की स्थापना या रख-रखाव कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना भारत और झारखण्ड में जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के लिए की जाएगी।

4. प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद्, और ऐसे सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता धारण किए रहते हैं, एतद् द्वारा साथ मिलकर कंडिका-1 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

5. विश्वविद्यालय के पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

6. विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में, अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा, और इस तरह के मुकदमे और कार्यवाही में सभी प्रक्रियाएँ कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उन्हें तामील की जाएगी।

(हेमन्त सोरेन)
भार-साधक-सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि)6(A)--220--27-07-2022 ।